

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--:सेवा संतोषजनक प्रमाण-पत्र:--

प्रारूप-8 परिशिष्ट-"अ"

निम्नांकित प्राध्यापक विषय- पंजाबी का निम्नानुसार विभागीय आदेश दिनांक 07.07.2021 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की जा चुकी है, के सम्बन्ध में:-


क्र.स.	नाम कार्मिक	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक
1	श्रीमती राजपाल कौर	03.04.1962	राउमावि. गाहड़, हनुमानगढ़	25.01.1991	07.09.2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित शिक्षा सेवा के कार्मिक के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।




(काना राम)

IAS


निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 26 / 10 / 2021

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-5/स्वै.सेवा निवृत्ति/2012/490
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग.....
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर।
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/ओएसो/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर